पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.ग्वा

श्री .... द्वारा आज दि. 21/6/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

संजय कुमार राहुरकर आ. श्री मनोहर राहुरकर
आयु करीब 50 वर्ष निवासी बंजारा हिल्स,
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद......................................याचिकाकर्ता

बनाम

1. सुश्री हेमा राहुरकर पुत्री मनोहर राहुरकर
   निवासी आकांक्षा बिल्डिंग गुप्ता ग्राउंड होशंगाबाद
   तहसील व जिला होशंगाबाद
2. श्रीमति मनीषा श्रीवास्तव पत्नि श्री मुकेश श्रीवास्तव
   निवासी कोठी बाजार होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद
3. किरण राहुरकर पत्नि श्री संजय राहुरकर
   निवासी बंजारा हिल्स, होशंगाबाद......................................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता।

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय होशंगाबा द्वारा राजस्वप्रकरण क्र. 89अ/6 वर्ष 2013-14 जिसके पक्षकार सुश्री हेमा राहुरकर बनाम संजय राहुरकर व अन्य हैं में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1964/पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित, उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी नजूल अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	